



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीयन हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची

- ❖ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - 1. बी.ए.एम.एस. प्रथम से अंतिम वर्ष तक के अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।
 - 2. निर्धारित शुल्क
 - 3. 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
(आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं अग्रेषित किया जाना है।)
- ❖ स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - 1. 10^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 2. 12^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 3. बी.ए.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूचियाँ (छायाप्रति)।
 - 4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री (छायाप्रति)।
 - 5. बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति।
 - 6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ई-मेल आई.डी।
 - 7. इन्टर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)।
 - 8. 03 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
 - 9. निर्धारित शुल्क
- ❖ अन्य राज्य के आवेदकों के लिए स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
(जिन्होंने अन्य राज्य में पंजीयन नहीं कराया है।)
 - 1. 10^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 2. 12^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 3. बी.ए.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूचियाँ (छायाप्रति)।
 - 4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री (छायाप्रति)।
 - 5. बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति।
 - 6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ई-मेल आई.डी।
 - 7. इन्टर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)।
 - 8. शपथ पत्र।
 - 9. 03 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
 - 10. निर्धारित शुल्क

नोट :- अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु उक्त के अतिरिक्त सर्वप्रथम अपने पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र को संबंधित राज्य बोर्ड/कौसिल में निरस्त करवाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।

- ❖ निर्धारित शुल्क के संबंध में जानकारी बोर्ड के वेबसाईट www.cgaupcb.in में अवलोकन करें।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
वेबसाईट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीयन हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची

- ❖ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - 1. बी.ए.एम.एस. प्रथम से अंतिम वर्ष तक के अंकसूचियों की सत्यापित छायाप्रति।
 - 2. निर्धारित शुल्क
 - 3. 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
(आवेदन पत्र प्राचार्य द्वारा सत्यापित एवं अग्रेषित किया जाना है।)
- ❖ स्थायी पंजीयन के लिए आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - 1. 10^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 2. 12^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 3. बी.ए.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूचियाँ (छायाप्रति)।
 - 4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री (छायाप्रति)।
 - 5. बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति।
 - 6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ई-मेल आई.डी।
 - 7. इन्टर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)।
 - 8. 03 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
 - 9. निर्धारित शुल्क
- ❖ अन्य राज्य के आवेदकों के लिए स्थायी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
(जिन्होंने अन्य राज्य में पंजीयन नहीं कराया है।)
 - 1. 10^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 2. 12^{वीं} मार्कशीट की छायाप्रति।
 - 3. बी.ए.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के सभी वर्षों की अंकसूचियाँ (छायाप्रति)।
 - 4. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अस्थायी/स्थायी डिग्री (छायाप्रति)।
 - 5. बोर्ड द्वारा जारी अस्थायी पंजीयन की मूल प्रति।
 - 6. आधार कार्ड/मोबाइल नंबर/ई-मेल आई.डी।
 - 7. इन्टर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)।
 - 8. शपथ पत्र।
 - 9. 03 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो।
 - 10. निर्धारित शुल्क

नोट :- अन्य राज्य में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु उक्त के अतिरिक्त सर्वप्रथम अपने पूर्व पंजीयन प्रमाण पत्र को संबंधित राज्य बोर्ड/कौसिल में निरस्त करवाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।

- ❖ निर्धारित शुल्क के संबंध में जानकारी बोर्ड के वेबसाईट www.cgaupcb.in में अवलोकन करें।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर